Brij Mohan Sharma
Former Municipal Councillor

Former Chairman :
Appointments, Promotion,
Disciplinary & Allied Matters Committee
Former Member :
Standing Committee, MCD
Delhi Jal Board (Govt. of Delhi)

दिल्ली नगर निगम
MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
तमसो मा ज्योतिर्गमय

Phone : 011-23978289
23284994
(M) 9811397979
1772, Kucha Lattu Shah, Dariba,
Chandni Chowk, Delhi - 110006
E-mail : brijmohansharma0001@gmail.com

15.11.2011

सेवा मे,

श्री जी0एस0 पटनायक
उपाध्यक्ष
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास सदन,
नई दिल्ली।

विषय :- मास्टर प्लान वर्ष 2021 वाल्ड सिटी (**Walled City**) के Review सन्दर्भ में सुझाव।

महोदय,

मास्टर प्लान वर्ष 2021 लागू करते समय वाल्ड सिटी (Walled City) के पुराने स्वरूप के बारे में कोई ध्यान नही रखा गया है। यह मुगलों द्वारा बसाया शहर है, और इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान में निम्न बातों का समावेश होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहॉ पर छोटी–छोटी गलियॉ है, और इसका व्यापारिक एवं रिहायशी चरित्र हैं।

1. यहॉ की वास्ततिक (Original) गलियों, सड़कों व मौहल्लों का पुराना ले आऊट प्लान पुनः तैयार करके तुरन्त अधिसुचित किया जाये।
2. यहॉ वाल्ड सिटी (Walled City) क्षेत्र में रिहायशी व व्यापारिक भवनों में सब डिवीजन (Sub-Division) स्वीकृत (**Allow**) किया जाए क्योंकि परिवार बढ़ चुके हैं और लोगों ने अपनी आवश्यकतानुसार बंटवारा कर लिया है।
3. इस क्षेत्र में भवनों की अधिकतम ऊचाई 16 मीटर की जाये तथा एक अतिरिक्त मंजिल की भी स्वीकृति प्रदान की जाये।
4. मालिकाना चेन के लिए पिछले 25 वर्षो के हाऊस टैक्स रजिस्ट्रेशन को मान्य किया जाय। यहॉ मालिकाना चेन (Ownership Chain) के झगड़े है और पुरानी रजिस्ट्रीयों के कागजात नहीं मिलते है, अतः 25 साल पुराने हाऊस टैक्स रजिस्ट्रेशन से इन परेशानीयों पर लगाम लगेगी।
5. नये नक्शे या अडिशन आलट्रेशन (**Addition-Altration**) के नक्शे पास कते समय सैट बैक आगे–पीछे ना छोड़ा जाये। क्योकि यहा तंग गलियां है यदि भवन के अनुसार जरूरत हो तो चौक (Court Yard) में जगह छोडी जाये।
6. मास्टर प्लान के नियम–अधिनियम (R.R) बनाते समय गॉव की आबादी, अनधिकृत कालोनियॉ ,वाल्ड सिटी (Walled City) तथा बाकी दिल्ली के लिये एक जैसे (R.R) बनाये गये है। क्योंकि वाल्ड सिटी का विशेष दर्जा एवं ऐतिहासिक महत्व है। अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए वाल्ड सिटी के लिये अलग से नियम–अधिनियम (R.R) बनाये जाने चाहिए।

अतः आपसे से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप मास्टर प्लान में उचित संशोधन करते हुए वाल्ड सिटी मे रहने वाले रिहायशी एवं व्यापारियों को उचित एवं आवश्यक सुविधा प्रदान करने का कष्ट करेगें, ताकि भविष्य में आम जनता को कोई परेशानी ना हो सके।

आदर सहित!

भवदीय

(बृज मोहन शर्मा)